न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 159/2021
GCMS NO. : 2021/353

–:: वादीगण :–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण :–
1. धापूकंवर पत्नी नटवरसिंह 2. कमलेशकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति– राजपूत, निवासी– सेवरिया, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।		1. बाबूसिंह पुत्र गंगासिंह 2. कैलाशकंवर पुत्री गंगासिंह जातियान राजपूत निवासी सेवरिया तहसील जैतारण। 3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली राज0

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.02.11.2021

उपस्थितः– 1. श्री नितेश चौहान, श्री चेतन प्रकाश, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 18.07.2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 442/1 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/1 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445 रकबा 0.11052 हैक्टथर, खसरा संख्या 446/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 456 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा संख्या. 458 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 459 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा संख्या 460 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 462/1 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 464/1 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 465/1 रकता 0.7770 हैक्टेयर कुल खसरा 11 कुल रकबा 7.1629 हैक्टथर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आयी हुई है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से मुजब मौके पर बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक भाग माना जावें। वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि मे वादीगण का 1/2 हिस्सा आता है जो खसरा नम्बर 456, 457, 458, 459, 460, 444 मे 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काबिज खातेदार काश्तकार है तथा शेष खसरा 444/1, 445, 446/1, 456, 462/1, 464/1, 465/1 प्रतिवादीगण का भी 1/2, हिस्सा आता है तथा इसी हिस्सानुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हे। उपरोक्त वादपत्र के पद संख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि शामलाती होने से वादीगण अपनी कृषि भूमि मे खाद बीज डालकर सहकारी बैंक से ऋण नही ले सकती है तथा वादीगण को सामलाती कृषि भूमि होने के कारण अनेक प्रकार की कठनाईयो का सामना करना पड़ता है तथा वादीगण अपनी कृषि भूमि मे अलग से कुआ खुदवाकर उस पर विद्युत कनेक्शन सामलाती भूमि होने से नहीं ले सकती है तथा वादीगण को अनेको

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रकार की परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार होने से अपने 1/2 हिस्से का उपर वर्णितानुसार मौके पर काबिज काश्त अनुसार बंटवाडा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 30-9-21 को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये व उक्त कृषिभूमि से बेदखल करने की भी ऐलानिया धमकी दी व यह भी कहा कि हम बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण आदि कर देगे। प्रतिवादीगण अगर बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण कर देते है तो एक अजनबी केता उक्त भूमि के मुख्य भू भाग पर कब्जा करेगा जो वादीगण हरगिज केता को ऐसा करने नही देगा तब मौके पर लडाई झगडा व टन्टा फसाद होगा। नाहक पेचीदगिया बढेगी तथा वादीगण को असीम क्षति होगी व वादीगण अपने साम्पैतिक हक व अधिकारो से महरुम हो जायेगी इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को यह भी ऐलानिया धमकी दी कि हम तो उक्त भूमि को बेचान करके ही रहेगें तथा तुम्हे इस कृषि भूमि मे काश्त नहीं करने देगे अगर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो में कामयाब हो जाते है तो वादीगण अपने जायज हक व अधिकारो से महरुम होगी व वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी व मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिगस बढेगी। इसलिए यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से तथा बंटवाडे के वाद मे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी संख्या 3 उपपंजीयन अधिकारी के समक्ष यदि प्रतिवादीगण किसी प्रकार का बेचान हस्तान्तरण का दस्तावेज बिना कानूनी बंटवाडा करवाये प्रस्तुत करे तो उसका पंजीयन नहीं करे तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति को यथावत् बनाये रखने हेतु इस वादपत्र मे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से उनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगने व नोटिस का समय व्यथित करने तक वादीगण को वाद करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये ही वाद न्यायालय की अनुमति से पेश है तथा अनुमति बाबत् धरा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। बिनाय दावा दिनांक 30.9.21 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का कानूनन ऊपर वर्णितानुसार एवं मौके पर काबिज काश्त अनुसार बंटवाडा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रुप से इन्कार होने तथा वादीगण को अपने हिस्से से बेदखल करने व काश्त नहीं करने देने की व बिना बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अजनबी केता को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करने की ऐलानिया धमकी दी तब बमुकाम सिणला तहसील जैतारण जिला पाली राज० मे उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से यह वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 को बार बार आवाज दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी ने साक्ष्य शपथ पेश किया, प्रदर्श करवाए गए, शामिल मिसल किया गया। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा सेवरिया सम्वत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 442/1 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/1 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445 रकबा 0.11052 हैक्थर, खसरा संख्या 446/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 456 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा संख्या 458 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 459 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा संख्या 460 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 462/1 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 464/1 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 465/1 रकता 0.7770 हैक्टेयर कुल खसरा 11 कुल रकबा 7.1629 हैक्थर में वादी के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 442/1 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/1 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445 रकबा 0.11052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 446/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 456 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा संख्या 458 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 459 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा संख्या 460 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 462/1 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 464/1 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 465/1 रकता 0.7770 हैक्टेयर कुल खसरा 11 कुल रकबा 7.1629 हैक्टेयर जो राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/389 दिनांक 09.05.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/4286 दिनांक 04/07/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादीगण की सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:18 IST
Reason: SelfAttested

आदेश :-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी [illegible] जो काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

जेला पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 442/1 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/1 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445 रकबा 0.11052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 446/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 456 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा संख्या 458 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 459 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा संख्या 460 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 462/1 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 464/1 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 465/1 रकता 0.7770 हैक्टेयर कुल खसरा 11 कुल रकबा 7.1629 हैक्टेयर भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	धापूकंवर पत्नी नटवरसिंह हि. 1/2, जाति राजपूत सा. बलाड़ा, कमेलश कवंर पत्नी नरपतसिंह हि. 1/2 जाति- राजपूत सा. देह रहन- कमलेश कंवर का हि. पी.एन.बी.प शाखा राबड़ियावास खातेदार।	442/1	0.2428	बा. अ.	0.12
		444/1	1.5013	बा. अ.	0.7487
		456	1.0117	चा. प्र.	3.54
		458	0.1862	चा. प्र.	0.65
		459	0.4209	चा. प्र.	1.47
		460	0.2185	चा. प्र.	0.76
		06	3.5814		7.2887
2.	कैलाश कंवर पुत्री गंगासिंह हि. 1/9, बाबूसिंह पुत्र गंगासिंह हि. 8/9 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार रहन बाबुसिंह का हि. आर.एम.जी.बी. शाखा रास।	444/2	0.4412	बा. अ.	
		446/1	1.6187	बा. दो.	
		445	0.1052	गै. मु.	
		462/1	0.1942	चा. प्र.	
		464/1	0.4452	चा. प्र.	
		465/1	0.7770	चा. प्र.	
		06	3.5815		5.5813

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/07/2022 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें हब्दादाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
पईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–:: वादीगण :–	**बनाम**	**–:: प्रतिवादीगण :–**
1. धापूकंवर पत्नी नटवरसिंह 2. कमलेशकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति– राजपूत, निवासी– सेवरिया, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज०।		1. बाबूसिंह पुत्र गंगासिंह 2. कैलाशकंवर पुत्री गंगासिंह जातियान राजपूत निवासी सेवरिया तहसील जैतारण। 3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली राज०

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०:– 159/2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री नितेश चौहान, श्री चेतन प्रकाश, अधिवक्ता, वादीगण, मिनजानिब मुद्धई तथा मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 442/1 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/1 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445 रकबा 0.11052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 446/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 456 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा संख्या 458 रकबा 0. 1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 459 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा संख्या 460 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 462/1 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 464/1 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 465/1 रकता 0.7770 हैक्टेयर कुल खसरा 11 कुल रकबा 7.1629 हैक्टेयर भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	धापूकंवर पत्नी नटवरसिंह हि. 1/2, जाति राजपूत सा. बलाड़ा, कमेलश कवंर पत्नी नरपतसिंह हि. 1/2 जाति– राजपूत सा. देह रहन– कमलेश कंवर का हि. पी.एन.बी.प शाखा राबड़ियावास खातेदार।	442/1	0.2428	बा. अ.	0.12
		444/1	1.5013	बा. अ.	0.7487
		456	1.0117	चा. प्र.	3.54
		458	0.1862	चा. प्र.	0.65
		459	0.4209	चा. प्र.	1.47
		460	0.2185	चा. प्र.	0.76
		06	3.5814		7.2887

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:18 IST
Reason: SelfAttested

2.	कैलाश कंवर पुत्री गंगासिंह हि. 1/9, बाबूसिंह पुत्र गंगासिंह हि. 8/9 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार रहन बाबुसिंह का हि. आर.एम.जी.बी. शाखा रास।	444/2	0.4412	बा. अ.	
		446/1	1.6187	बा. दो.	
		445	0.1052	गै. मु.	
		462/1	0.1942	चा. प्र.	
		464/1	0.4452	चा. प्र.	
		465/1	0.7770	चा. प्र.	
		06	3.5815		5.5813

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज.....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीसं सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18/07/2022 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः-	06-00	मिजानः-	— Nil —

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:18 IST
Reason: SelfAttested